44 ① 510

समक्ष न्यायायल श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

पुनरीक्षण याचिका कमांक /2018

I/ निगरानी/बालाघाट/भू.रा/2018/1038

पुनरीक्षणकर्ता : अभय रूसिया पिता अजय रूसीया, जाति–बनिया, निवासी– बारासिवनी तहसील बारासिवनी जिला बालाघाट, म0प्र0

विरूद्ध

प्रतिवादी : म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार बारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.

श्री ..... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
22 JAN 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन करता है कि :–

यह कि, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विद्वान अनुविभागीय अधिकारी, बारासिवनी द्वारा राजस्व प्रकरण क. 0027/ए–68/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

अपील के तथ्य :

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार द्वारा सिवनी के द्वारा एक सूचना पत्र प्रेषित दिनांक 23.3.2017 को किया गया और यह सूचित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा ग्राम बारासिवनी प.ह.नं. 26/1 में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 812 रकवा 2.306 हे. मद सड़क में से रकवा 0.045 हेक. में मकान निर्माण कर अतिकमण किया है, और वह प्रतिवेदन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को सूचना पत्र प्रेषित किया गया और प्रेषित सूचना पत्र में पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध 0.045 हेक. पर मकान बनाकर कब्जा किये जाने का आरोप लगाकर धारा 248 म.प्र.भू.रा. संहिता के तहत कार्यवाही की गई।

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE HIGH COURT
Ku. Kiran Mehta
DISTT.-JABALPUR
21 JAN 2018

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/बालाघाट/भू.रा./2018/1038

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/3/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अतिक्रमण का है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा विवादित भूमि का मौका स्थल जांच, सीमांकन, कब्जा हेतु दल गठित करते हुए दल को शासकीय भूमि खसरा नं. 812 पर अतिक्रमण है या नहीं। यदि है तो किसका है और कितनी भूमि पर है और किस स्वरूप में है, की जांच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उनके इस आदेश में क्या विधिक त्रुटि है इस संबंध में कोई समाधानकारक कारण आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं बताया गया है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	